

प्रेसनोट दिनांक 21.04.2021

1. दिनांक 20.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अदील अहमद थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि तेजस पाण्डेय पुत्र लालमणि पाण्डेय नि0 आनन्द बिहार कालोनी सुलतानपुर थाना को0नगर अयोध्या अभियुक्त द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए जनरल स्टोर खोलकर भीड़ एकत्र करना, जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 264/21 धारा 188, 269 भादवि 3 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 20.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील सिंह यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुकेश मौर्या पुत्र मनीराम मौर्या नि0 नूरपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 07 नफर अभि0गण द्वारा धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करते हुए थाना गेट के सामने एकत्र होना, जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 111/21 धारा 188 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 20.04.21 को वादी श्री आवेश खान पुत्र जमील खान नि0 जगनपुर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मकबूर पुत्र मकबूल नि0 जगनपुर थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा मोबाइल नं0 पर मो0न0 से फोन कर गाली व जान माल की धमकी देना, पूछने पर हमलावर होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 182/21 धारा 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 20.04.21 को वादी श्री राम धीरज यादव पुत्र छेदीलाल यादव नि0 तरहरा मजरे कटारी थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शत्रुधन पुत्र राम तीरथ नि0 तरहरा मजरे कटारी थाना को0बीकापुर अयोध्या आदि 02 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 181/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।